

**छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 2171 / एफ-1-189 / 31 / एस-2 / 2019,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 17 / 06 / 2020

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड-छुईखदान की सुरही जलाशय के वेस्ट वियर की ऊँचाई बढ़ाने, सुरही नहर विस्तार का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य तथा नहर विस्तार (चारभाठा जलाशय तक) तथा मुख्य नहर/लघु नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-374 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2019 / 14374, नवा रायपुर, दि.13.11.2019

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड-छुईखदान की सुरही जलाशय के वेस्ट वियर की ऊँचाई बढ़ाने, सुरही नहर विस्तार का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य तथा नहर विस्तार (चारभाठा जलाशय तक) तथा मुख्य नहर/लघु नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 4599.48 लाख (रुपये पैंतालीस करोड़ निन्यानबे लाख अड़तालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति नाबार्ड से स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारंभ करने की शर्त पर प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 6393 हेक्टेयर में 1798 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 364 हेक्टेयर (120 हेक्टेयर खरीफ एवं 244 हेक्टेयर रबी) अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 6757 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल 0311 नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) (9469) नाबार्ड से ऋण सहायता के अन्तर्गत #97-निर्माण कार्य 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-202/पंजी क्र.202/वित्त/बजट-2/चार/2020, दिनांक 16.06.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

(याकुब खान)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 2172 / एफ-1-189 / 31 / एस-2 / 2019,

अटल नगर, दिनांक 17 / 06 / 2020

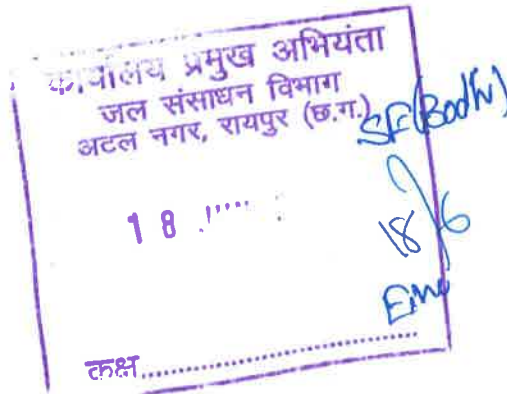
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 4. अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, अटल नगर।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिहावा भवन परिसर सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)।
 13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मंडल, दुर्ग, जिला- दुर्ग।
 14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान, जिला-राजनांदगांव।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

ADME(B)
SE (MIS)

SECB)
19/6/20

52
25/6/2020



संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
17/6/20